

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(8) राज/वाद/10पार्ट-1

जयपुर, दिनांक 19-2-21

:: आदेश ::

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 03.02.21 के द्वारा राजकीय वादकरण नीति-2018 के बिन्दु संख्या 11.7 में स्थापित प्रावधानानुसार विधि एवं विधिक कार्य (राजकीय वादकरण) विभाग में गठित विशेष प्रकोष्ठ हेतु संविदा के आधार पर सृजित संयुक्त विधि परामर्शी के पद पर सेवानिवृत्त जिला जज से एकमुश्त राशि रूपये 60,000/- मासिक दर पर संविदा सेवायें लिये जाने की समयावधि में 01.03.2021 से 28.02.2022 तक वृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त संविदा सेवाओं का उपापन किये जाने हेतु तत्सम्बन्धी नियमों/प्रावधानों की पूर्ण पालना की जावे। उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या 102100746 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।


उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट मद संख्या 2014-114- (01)-41 संविदा सेवायें (गैर आयोजना) से वहन किया जायेगा।

हो

(मधुसूदन शर्मा)  
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
- 2 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
- 3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
- 4 निजी सचिव, शासन सचिव, विधि।
- 5 कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 6 आहरण एवं वितरण अधिकारी, वादकरण।
- 7 सहायक लेखाधिकारी-1, वादकरण।
- 8 प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 9 रक्षित पत्रावली।

  
19-2-21  
(मधुसूदन शर्मा)  
विशिष्ट शासन सचिव